

प्रेषिका

अंजलि रानी
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
हसनपुर, अमरोहा।

सेवा में,

महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उ०प्र०।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अमरोहा।

विषय - प्रार्थिनी के नाम के पहले 'सुश्री' के स्थान पर 'श्रीमती' तथा पिता श्री लेखराज सिंह के नाम के स्थान पर पति 'श्री तरुण कुमार कौशिक' का नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी का विवाह 'श्री तरुण कुमार कौशिक', निवासी मोहल्ला शराफतुल्ला मंगल बाजार चौक गुलावठी जिला बुलंदशहर उ०प्र० के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 18/04/2017 दिन मंगलवार को शहनाई फार्म हाउस, मेरठ रोड हापुड पर संपन्न हुआ था। प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक एवं सर्कुलर पत्र स० 31/2005 दिनांक 29/10/2005 के अनुपालन में अपने विवाह की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सेवा में पत्रांक स० 467/19/प्रशा० अमरोहा दिनांक 11/03/2019 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के नाम के पहले 'सुश्री' के स्थान पर 'श्रीमती' तथा पिता श्री लेखराज सिंह के नाम के स्थान पर पति 'श्री तरुण कुमार कौशिक'(TARUN KUMAR KAUSHIK) का नाम अंकित कराने की कृपा करे।

सादर।

दिनांक: 24/11/2020

भवदीया
Anjali Rani
अंजलि रानी

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
हसनपुर, अमरोहा।

- संलग्नक- 1. पत्रांक स० 467/19/प्रशा० अमरोहा
दिनांक 11/03/2019 की प्रतिलिपि।
2. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।